


173

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म0प्र0)



RS-801 -

RS153-II/16

गंभीर तनय रजनू चमार, साकिन उज्जैनी, तहसील देवसर, जिला
सिगरौली (म0प्र0) —————आवेदक / निगरानीकर्ता

बनाम

1- लक्षनधारी तनय रामसुन्दर, साकिन उज्जैनी, तहसील देवसर, जिला
सिगरौली (म0प्र0)

2- म0प्र0 शासन

श्री. डा. अंजली कृष्णसोनी द्वारा आज दिनांक 22-3-16 प्रस्तुत किया गया।

सिद्ध
सर्किट कोर्ट रीवा

—————अनावेदकगण / गैरनिगरानीकर्तागण
निगरानी विरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग
रीवा के प्रकरण क0-369 / निगरानी / 10-11
में पारित आदेश दिनांक 22/01/16

अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता सन्
1959 ई0

मान्यवर,

प्रकरण के तथ्य :-

यह कि आवेदक को प्रश्नाधीन भूमियों का व्यवस्थापन म0प्र0 कृषि प्रयोजन के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमियों पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत पात्र पाये जाने पर नायब तहसीलदार महोदय देवसर के द्वारा प्रकरण क्रमांक-101/अ-19(4)/91-92 में विधिवत् वैधानिक प्रक्रिया पालन करते हुए आदेश दिनांक 26/05/92 को भूमिस्वामी अधिकार वादित भूमियों पर प्रदान किया गया जो परिशिष्ट क्रमांक-1 है जिसके विरुद्ध अनावेदक क0-1 द्वारा अपर कलेक्टर महोदय बैढन के यहां निगरानी प्रस्तुत

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

55

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक..... R-5153-शे/116 जिला सिंगरौली..... Not press

गंभीर चण्ड / लक्ष्मण चण्ड

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17/5/17	<p>आदेशक अधिकारव्यक्ति - डॉ. जनी लोनी - उपरिपत्र क्रमांक - निर्देशन क्रमांक 10 दि. प्रकला को वह आदेश नहीं चलाया जा रहा है। उनका - अनुशय - लोक - क्रमांक 10 है तथा प्रकला को प्रेम से समाप्त क्रियायाती है।</p> <p style="text-align: right;">[Signature] लक्ष्मण</p>	<p>Not press</p> <p>[Signature]</p>